ACE/No/Gen/21-22/023 Date-8/12/21

Aishwarya College

JODHPUR | PALI

8.12.21

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

छात्रवृति 2021-22

अन्तिम तिथि :- 31 दिसम्बर 2021

सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना एवं अन्य पिछड़े वर्ग केवल (बीपीएल, विधवा, विधवा का पुत्र/पत्री, तलाकशुदा महिला, तलाकशुदा महिला का पुत्र/पुत्री, विशेष योग्यजन एव विशेष योग्यजन का पुत्र/पुत्री) **के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-11-2021 तक ऑनलाईन – www.scholarship.rajasthan.gov.in पर SSO ID के माध्यम से आवेदन करे।**

दस्तावेज :-

विद्यार्थी को आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा जैसे – आय का घोषणा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जात्ति प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण-पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में

तलाक से संबंधित दस्तावेज, 10 वीं की अंकतालिका, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद।

आय की घोषणाः-

इसे निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर अपलोड़ करे।

ST/ST/SBC – 2.5 लाख रू तक वार्षिक आय ।

OBC – 1.5 लाख रू तक वार्षिक आय ।

पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनो की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा तथा तीनो ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

विद्यार्थियों की आधारभूत सूचानाऐं :-

विद्यार्थी की आधारभूत सूचनाऐं जैसे - नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जायेगी।

विद्यार्थी की छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी

Aishwarya College

JODHPUR | PALI

का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी।

फीस का विवरण – विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित करवाना होगा। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा।

विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान का एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक सूचना भरी जाती है तो **इस पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जायेगा इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के छात्रवृति कार्यालय द्वारा अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।**

यह सभी सूचनाऐं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की गई है ।

महाविद्यालय का छात्रवृति बाबत् किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा । इस हेतु विद्यार्थी अपने ऑनलाईन स्टेटस नियमित रूप से चैक करते रहे।

8.12.21

प्राचार्य

(1) Notice Board | website